कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर

पत्रांक :- 580 / प्रा0वि0 दिनांक :- 11/3/22

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (संयुक्त कार्यालय)
कार्यालय जिलाधिकारी,
रामपुर।

विषय :- ग्राम करनपुर, तहसील–सदर, जिला रामपुर में शाहबाद रामपुर बाजपुर (एस0एच0–144) ग्राम के चैनेज 52.63 के गाटा / खसरा सं0–114, क्षेत्रफल–0.1225 हैक्टेयर में किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 211 / जे0ए0–2 दिनांक 17.12.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त अनापत्ति सहित पूर्ण प्रकरण आपको अग्रत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के पत्रांक–634 / 46एम(रामपुर)–मु0क्षे0 / 2021 दिनांक 04.03.2022 द्वारा अनापत्ति हेतु लगायी गयी किसी भी शर्त का अनुपालन न होने पर यह अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रकरण मूलरूप में।

(संजीव कुमार वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर
11/3/2022

पत्रांक :- / दिनांक :- / /

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद महोदय को उनके पत्रांक–634 / 46एम(रामपुर)–मु0क्षे0 / 2021 दिनांक 04.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर को मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद के उपरोक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 635/46एम0(रामपुर)–मु0क्षे0/2021 दिनांक- 04/3/22

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय :- ग्राम करनपुर, तहसील–सदर, जिला रामपुर में शाहबाद रामपुर बाजपुर(एस0एच0–144) ग्राम के चैनेज 52.630 के गाटा/खसरा सं0–114, क्षेत्रफल–0.1225 हैक्टेयर में किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-653/51काम-रा0वृत/21-22 दिनांक 04.03.2022

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम मे रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1 मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।

2 प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र मे दर्शायी गयी 23.00 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)

3 विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-20 के अनुसार मानचित्र मे दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।

4 समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।

5 प्रस्तावित स्थल ग्राम करनपुर, तहसील–सदर, जिला रामपुर में शाहबाद रामपुर बाजपुर(एस0एच0–144) ग्राम के चैनेज 52.630 के गाटा/खसरा सं0–114, क्षेत्रफल–0.1225 हैक्टेयर पर स्थित है।

6 प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।

7 रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कराना होगा।

8\. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।

9\. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति मे प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, भूमि के स्वामित्व की पुष्टि राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाना है।

10\. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण/पेट्रोल पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

कुमार विवेक / KUMAR VIVEK
मुख्य प्रबंधक (खुदरा बिक्री) / Chief Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

Scanned with CamScanner

11 मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई नियम निर्धारित किया [illegible] उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

12 अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये।

14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

16. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियाँ शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियाँ एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।

17. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न–1–मानचित्र एक प्रतियों में।
2–एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3–अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-653/51काम-रा0वृत/21-22 दि0 04.03.2022 के पत्र की छाया प्रति।

4/3/22
(वी0के0 श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता,

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके पत्रांक-653/51काम-रा0वृत/21-22 दिनांक 04.03.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

[illegible] कुमार
[illegible] निदेशक
[illegible] वानिकी प्रभाग
रामपुर

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
बरेली मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office

Scanned with CamScanner